10549
2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

339

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 470740

अखला...
कोषाधिकारी
18 OCT 2011
कोषागार, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
द्वारा आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु
विक्रय विलेख

सन् 2011 ई0 के........ नवम्बर .... मास के दिनांक........03 11........ को

श्री राजीव शर्मा, सहायक अभियन्ता (सम्पत्ति), आगरा विकास प्राधिकरण (जिनको एतद्पश्चात ' प्रथम पक्ष" कहा गया है) तथा श्री मोहित गोयल (पार्टनर), मै० अशोक हाउसिंग (भागीदारी फर्म), पंजीकृत कार्यालय स्थित 2/27, सेठ गली, आगरा। तहसील व जिला–आगरा (जिसको एतद्पश्चात 'द्वितीय पक्ष कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि द्वितीय पक्ष को आवंटित हुआ था। आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड का स्वामित्व रु. 147658600 (शब्दों मे रुपया चौदह करोड छयत्तर लाख अट्ठावन हजार छः सौ रुपये केवल) के एवज में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जाना है।

और चूँकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड ताज नगरी फेस– II, सेक्टर बी–2/जी एच 4 का स्वामित्व ग्रुप हाउसिंग के प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूँकि जनपद आगरा की महायोजना/आस–पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड का ग्रुप हाउसिंग/उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

1645/3

Mohit Goyal

A.O. 14/11/13

राजीव शर्मा
सहायक अभियन्ता
( )

राजेन्द्र शर्मा
सहायक अभियन्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 470741

333

अखलाक
कोषाधिकारी
18 OCT 2011
कोषागार, लखनऊ

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना मे निर्दिष्ट/आस–पास की भूमि के भू–उपयोग के अनुसार ही किया जावेगा व कोई प्रदूषणकारी अथवा अनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 सपठित शासनादेश संख्या 1639/9आ–1–95–80 मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/9 आ–1–95–80 मिस/86 दिनांक 24–5–95 के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रु 147658600/ (शब्दों मे रुपया चौदह करोड छयत्तर लाख अट्ठावन हजार छः सौ रुपये केवल) विभिन्न स्थित चेक/बैंक चालान संख्या विभिन्न द्वारा किये गये भुगतान जिसका सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया जा चुका है व प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तो जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर प्रथम पक्ष एतद् द्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख में संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्री–होल्ड रूप में द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं अतएव द्वितीय पक्ष उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

Mohit Gupta

राजीव शर्मा
सहायक अभियन्ता
(सम्पत्ति)

बिक्रय पत्र

65,377,632.00/	165,378,000.00	10,000.00	20	10,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री गिरीश चन्द वहे0 मुख्तार
पुत्र श्री आगरा विकास प्राधिकरण आगरा
पेशा नौकरी
निवासी स्थायी ए डी ए लिपिक आगरा
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/11/2011 समय 6:31PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
3/11/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री गिरीश चन्द वहे0 मुख्तार
पुत्र श्री आगरा विकास प्राधिकरण आगरा
पेशा नौकरी
निवासी ए डी ए लिपिक आगरा

क्रेता
श्री मैसर्स अशोक हाउसिंग द्वारा पार्टनर मोहित गोयल
पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल
पेशा व्यापार
निवासी 2/27 सेठ गली आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री अशोक कुमार
पुत्र श्री गोपाल प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी सीता नगर राम बाग आगरा
व श्री राजेश तनेजा
पुत्र श्री ओम प्रकाश तनेजा
पेशा व्यापार
निवासी नगला पदी आगरा
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक तृतीय
सदर आगरा
3/11/2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 470742

3

अखलाक ...
कोषाधिकारी
18 OCT 2011
कोषागार, आगरा

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा। भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करो का भुगतान करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनो पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को संदर्भित किया जायेगा। जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध मे जब तक की उनकी इस प्रकार की व्याख्या, प्रसंगों से असंगत न हो, ''प्रथम पक्ष'' में उसके पद के उत्तराधिकारियों एव समनुदेशितियों का तथा ''द्वितीय पक्ष'' में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों,प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा।

इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत/अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है:-

भूखण्ड संख्या सैक्टर बी--2, जी.एच--4 स्थित मोहल्ला ताज नगरी फेस- II, आगरा कुल रकवा 7382.93 वर्ग मीटर जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :

राजीव शर्मा
सहायक अभियन्ता
(...)

विक्रेता

Registration No.: 10549 Year: 2,011 Book No.: 1

0101 गिरीश चन्द वहे0 मुख्तार

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

ए डी ए लिपिक आगरा

नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

(33)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 470743

4

अखलाक
कोषाधिकारी
18 OCT 2011
कोषागार, आगरा

पूरब : खुली हरित पट्टी।
पश्चिम : अन्य भूमि
उत्तर : 18.00 मीटर चौड़ी सड़क
दक्षिण : मल्टी प्लेक्स बी/एम–1

फ्री–होल्ड के लिए द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि रूपया 17719032.00 प्राधिकरण कोष में चालान संख्या विभिन्न दिनांक विभिन्न द्वारा जमा कर दी हैं।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
मैं0 अशोक हाउसिंग

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

Mohit
भागीदार
नामः
पता :

शर्मा
(3)

साक्षी–(1) Ashok Kumar
S/o Sri Gopal Prasad
Ram Bagh, Sita Nagar Agra

साक्षी–(2)
Rupesh Taneja
S/o Om Prakesh Taneja
37/339 Naglu Padi
Agra

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

क्रेता

Registration No.: 10549 Year: 2,011 Book No.: 1

0201 मेसर्स अशोक हाउसिंग द्वारा पार्टनर मोहित गोयल

अशोक कुमार गोयल

2/27 सेठ गली आगरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 470744

8

9 OCT 2011

यह स्टाम्प शीट भूखण्ड संख्या बी-2/जी.एच.-4 ताज नगरी फेस-II, आगरा के विक्रय पत्र का भाग है।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
मैं0 अशोक हाउसिंग

भागीदार

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

राजीव शर्मा
सहायक अभियन्ता
(सम्पत्ति)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 470745

6

यह स्टाम्प शीट भूखण्ड संख्या बी–2/जी.एच.–4 ताज नगरी फेस–II, आगरा के विक्रय पत्र का भाग है।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
मैं0 अशोक हाउसिंग

भागीदार

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

राजीव शर्मा
सहायक अभियन्ता
(सम्पत्ति)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 463 B 471202

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
20 OCT 2011
कोषागार, आगरा

यह स्टाम्प शीट भूखण्ड संख्या बी–2/जी.एच.–4 ताज नगरी फेस–II, आगरा के विक्रय पत्र का भाग है।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
मैं0 अशोक हाउसिंग

भागीदार

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 464 R 273014

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
2[illegible] OCT 2011
कोषागार, आगरा

यह स्टाम्प शीट भूखण्ड संख्या बी–2/जी.एच.–4 ताज नगरी फेस–II, आगरा के विक्रय पत्र का भाग है।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
मैं0 अशोक हाउसिंग

भागीदार

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

राजीव शर्मा
सहायक अभियन्ता
([illegible])

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 465

R 273015

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
20 OCT 2011
कोषागार, आगरा

यह स्टाम्प शीट भूखण्ड संख्या बी–2/जी.एच.–4 ताज नगरी फेस–II, आगरा के विक्रय पत्र का भाग है।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
नं0 अशोक हाउसिंग

भागीदार

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

नि0अ0 ... शर्मा
सहायक अभियन्ता

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY, AGRA

35

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT NO. B/GH-4 AT TAJ NAGRI PHASE - II SECTOR - B-2 AGRA.

LANDUSE :- RESIDENTIAL (GROUP HOUSING) PLOT AREA :- 7382.93 sm PLOT SIZE :- ______ REMARK :-	**BOUNDARIES :-** NORTH :- 18.0 MT. ROAD SOUTH:- MULTIPLEX B/M-1 EAST :- OPEN GREEN SPACE WEST:- OTHER'S PROPERTY

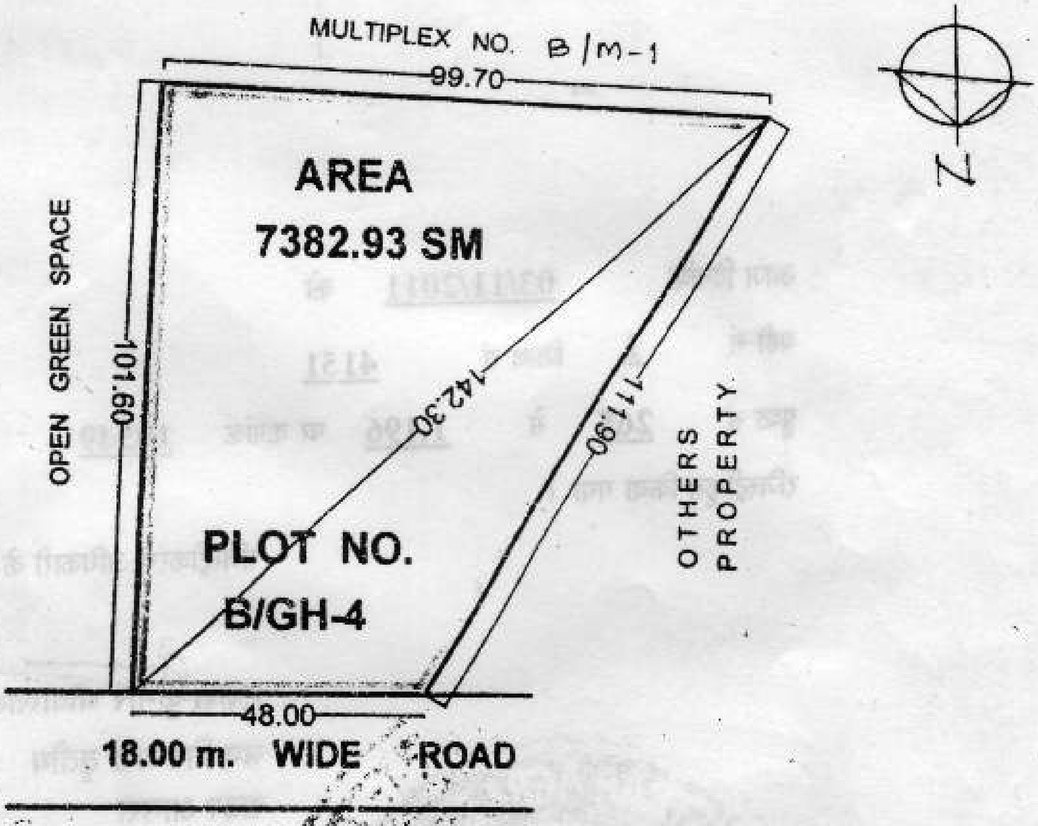

	अजय ... A.E. सहायक अभियन्ता	राजीव शर्मा सहायक अभियन्ता SELLER (सम्पत्ति)
TRACED BY: वीरेन्द्र सिंह मानचित्रकार	J.E. ... अवर अभियन्ता	Mohit Gupta PURCHASER

NOTE : MEASUREMENT AND AREA CHECKED BY J.E. AS PER SITE.

आज दिनांक **03/11/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **4151**

पृष्ठ सं. **265** से **1,196** पर कमांक **10549**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकेश कुमार श्रीवास्तव

उप निबन्धक तृतीय

सदर आगरा

3/11/2011